

मध्य प्रदेश विधान सभा  
पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 (आषाढ 27, 1939)

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 हेतु निर्धारित अशासकीय संकल्पों की सूची

1. (क्रमांक-01) सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित "ऐरा प्रथा" को समाप्त किया जाए।

(प्रस्तुतकर्ता सदस्य -श्री शंकरलाल तिवारी)

2. (क्रमांक-04 ,20) सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों/ मजरों / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए।

(प्रस्तुतकर्ता सदस्य - सर्वश्री के.पी.सिंह, शैलेन्द्र पटेल )

3. (क्रमांक-26) सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।

(प्रस्तुतकर्ता सदस्य - श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश विधान सभा